(8)

तरुण 20050/11-06

नगर पालिक निगम, इन्दौर

(भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा)

भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र फाईल नं. 297।7ए/6749

(भूमि विकास नियम 1984/88 के नियम क्रमांक 27 के अधीन)

क्रमांक 26287 /भवन अनुज्ञा/उत्तर/दक्षिण दिनांक 6/4/10

प्रति,

श्री श्री विशाल पिता संतोषलाल जायसवाल, तर्फे आ.मु. श्री संतोषलाल पिता ए. एल. जायसवाल

पता 258, ई बी. स्कीम-94, रिंगरोड़, इन्दौर

हाल मुकाम 258, ई बी. स्कीम-94, रिंगरोड़, इन्दौर

महोदय,

258, ई बी. स्कीम-94 रिंगरोड़

खसरा क्र. ....भू-खंड क्रमांक .... बस्ती/मार्ग .... मोहल्ला/बाजार इन्दौर नगर झोन क्रमांक ....10. इन्दौर में भूमि/ विकास भूमि/ भवन के विकास निर्माण हेतु स्वीकृति के लिये आपके आवेदन क्रमांक 1003679 दिनांक 31-3-2010 के संदर्भ में आपको सूचित करता हूँ कि प्राधिकारी द्वारा (संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... अनुसार स्वीकृत अभिन्यास एवं उसकी शर्तों के अधीन) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत लाल रंग से किये गये संशोधन अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत भवन स्वामी/भू स्वामी तथा वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है। इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा।उक्त शपथ पत्र एवम् दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा। इस स्वीकृति दिनांक 1-4-2013 तक वैध होगी, यदि आवश्यकता हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 1-3-2013 के पूर्व किया जावे।
2. इस स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय इस दाखले के निर्माण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा।
3. भवन निर्माण का कार्य निगम से प्राप्त लाईसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर, इंजीनियर अथवा वास्तुविद् की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त अवैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये पार्किंग स्थल हेतु जो अनुबंध पत्र आपके द्वारा निगम के पक्ष में लिखा गया उस अनुसार पार्किंग स्थल का निर्माण कर उसे निगम को हस्तांतरित करना होगा जो कि अंततः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् भवन के रहवासियों को निगम सौंपेगा। इस संबंध में भवन निर्माता मौके पर पार्किंग स्थल का सूचना पट्ट तथा वाहन के सुलभ आवागमन हेतु भी सूचना पट्ट, स्वयं के व्यय से लगाएगा।
5. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ड्रेनेज लाईन से जोड़ें तथा नगर निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एल.पी.टू) डाय मीटर का आर.सी.सी. पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजिल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तलघर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्र. 73 के अनुरूप ही होगा।
6. उपरोक्त स्वीकृति अनुसार आपके भूखंड क्षेत्रफल 135.00 वर्गमीटर पर निर्धारित 1.5 एफ.ए.आर. के साथ आवासीय/वाणिज्य/आवासीय सह वाणिज्यिक/ वाणिज्यिक/औद्योगिक/सार्वजनिक भूमि उपयोग के अनुसार आपको कुल क्षेत्रफल 134.94 वर्गमीटर पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जिस हेतु आपके द्वारा उस कार्यालय द्वारा जारी फीस मेमो क्र. .... दि. .... से रुपये 3113/- रसीद क्र. 4625 दि. .... से जमा किये गये हैं। इसमें भूतल के साथ प्री+1 तलों की स्वीकृति देते हुए इसके अन्तर्गत कुल — दुकानों/ — कार्यालयों /— गोडाउन्स/ — फ्लेट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन उपयोग के अलावा अन्य उपयोग वर्जित रहेगा।
7. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/ परिवर्धन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
8. पर्यावरण सुधार की दृष्टि से, रेन/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एवम् वृक्षारोपण हेतु नगर निगम कोष में, भवन अनुज्ञा शुल्क के साथ राशि रु. .... आपसे जमा करवाई गई है। जिससे सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर उक्त कार्य निगम द्वारा करवाएं जाएंगे।
9. भूतल + दो मंजिल से अधिक ऊँचे भवन निर्माण की स्थिति में भवन निर्माण स्वीकृति की समस्त जानकारी (मय नवशे के) का एक सूचना पट्ट, निर्माण स्थल पर स्वयं के व्यय से लगवाया अनिवार्य होगा।
10. 250 (दो सौ पचास) वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वयं के व्यय से आपको करवाना होगा। यह कार्य भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा तथा नगर निगम की वाटर हार्वेस्टिंग शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
11. रजिस्ट्रीकृत विक्रेता से ही विनिर्दिष्ट स्नोफ्ज क्रय करेंगे, क्रय एवम् उपयोग संबंधी सूचना सभी प्रमाणपत्रों के साथ अनिवार्यतः वनमंडलाधिकारी, इन्दौर को देंगे।
12. उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वतः शून्य मानी जावेगी।

अन्य शर्तें :-

1. प्रस्तुत मानचित्र भूतल एवं प्रथमतल आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत । छिपाये गये तथ्यों
2. की स्थिति में अथवा किसी विवाद या विभाग से आपत्ति आने पर दी गई स्वीकृती
3. स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

सरिता/1410

/भवन अधिकारी